(125)

1

संख्या–816/XXIV/2012–45/2008

प्रेशक,

मनीषा पंवार
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक
सर्व शिक्षा अभियान,
उत्तराखण्ड।

शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक) देहरादून दिनांक 11 अक्टूबर, 2012

विषयः– शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–12(I) (c) के अन्तर्गत प्रवेशित बच्चों हेतु प्रति बच्चा प्रतिपूर्ति व्यय वितरण सम्बन्धी दशा–निर्देश।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–रा0प0नि0/1523/08–RTE/2012–13 दिनांक 30.08.2012 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–12(I)(c)के अन्तर्गत प्रवेशित बच्चों हेतु प्रति बच्चा प्रतिपूर्ति व्यय वितरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते है:–

1. शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा–12(I)(c) के प्रावधानानुसार विशिष्ट श्रेणी एवं असहायता प्राप्त गैर अल्पसंख्यक विद्यालयों में अपवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को विद्यालय की कक्षा–1 अथवा पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित होने की दशा में सबसे छोटी कक्षा में उपलब्ध कुल सीटों के 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिये जाने का प्राविधान किया गया है। प्राविधान के क्रियान्वयन हेतु उत्तराखण्ड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011, के नियम–12 एवं शासनादेश संख्या–296/XXIV(1)/2011–45/2008 दिनांक 07 अप्रैल 2011 में निहित प्रवेश प्रक्रिया तथा शासनादेश संख्या–1469/XXIV(1)/2010-45/2008 T.C.-III दिनांक 08 अप्रैल 2011 (इसके संशोधन दिनांक 18 अप्रैल 2011) एवं शासनादेश संख्या–1333/XXIV(1)/2010.45/2008T.C.-I दिनांक 08 अप्रैल 2011 (इसके संशोधन दिनांक 11 मई, 2011) में निहित अपवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों की पात्रता के अनुसार ही कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

2. अधिनियम की धारा–12(2) के अनुसार असहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेशित

कमश........

बच्चों हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रति बच्चा प्रतिपूर्ति व्यय दिया जाना है। उक्त प्राविधान के अनुसार असहायता प्राप्त/निजी विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले अपवंचित समूह/कमजोर वर्ग के बच्चों हेतु प्रति बच्चा प्रतिपूर्ति व्यय का निर्धारण शासनादेश संख्या–142/XXIV(1)2012–45/2008T.C-I दिनांक 02 अप्रैल, 2012 के मानकानुसार किया जायेगा। समस्त जनपद सार्वजनिक विज्ञप्ति के माध्यम से जनसामान्य को प्रति बच्चा प्रतिपूर्ति व्यय के मानकों से अवगत करायेंगे, साथ ही प्रति बच्चा प्रतिपूर्ति सम्बन्धी शिकायत प्राप्त करने हेतु एक दूरभाष सम्पर्क नम्बर का भी उल्लेख किया जाए। शिकायत को अभिलिखित करते हुए शीघ्र निवारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

3. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–12(2) के अन्तर्गत् असहायता प्राप्त/निजी विद्यालयों के द्वारा इस आशय का घोषणा पत्र दिया जायेगा कि विद्यालय को राज्य सरकार द्वारा भूमि, भवन, उपकरण या अन्य सुविधाएँ मुफ्त या रियायती दर पर उपलब्ध करायी गयी हैं अथवा नहीं?

4. यदि विद्यालय को राज्य सरकार द्वारा बिन्दु–03 में उल्लिखित किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गयी है तो इस स्थिति में विद्यालय में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–12(2) के अन्तर्गत प्रवेशित बच्चों के शुल्क के व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु विद्यालय से पूर्ण विवरण यथा 2(d) एवं 2(c)के तहत प्रवेशित बच्चे का नाम, बच्चे के माता–पिता का नाम, प्रवेश की तिथि, माहवार अध्ययन का विवरण, विद्यालय को प्रतिपूर्ति किये जाने वाले मासिक शुल्क (मय प्रमाण) की राशि, बच्चे के अध्ययन के कुल माहों की संख्या एवं उपस्थिति के दिवसों की संख्या तथा कुल धनराशि का विवरण, विद्यालय का खाता संख्या व बैंक के नाम की सूची (बिल सहित) जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. विद्यालय में 2(d) एवं 2(c) के अन्तर्गत् प्रवेशित बच्चे को मध्याह्न भोजन की सुविधा, गणवेश तथा पाठ्यपुस्तकों के सापेक्ष प्रतिपूर्ति व्यय की धनराशि, शासनादेश संख्या 142/XXIV(1) 2012–45/2008 T.C-I दिनांक 02 अप्रैल, 2012 में निर्धारित दरों पर, केवल जनपद स्तर से बच्चों के बैंक खातों में इलेक्ट्रानिक माध्यम से स्थानान्तरित की जायेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिक माध्यम की सुविधा न होने पर ही

कमश.....

एकाउन्ट पेई चैक के माध्यम से धनराशि उपलब्ध करायी जा जा सकती है। मध्याह्न भोजन हेतु प्रतिपूर्ति की धनराशि का आगणन बच्चे द्वारा विद्यालय में उपस्थिति की संख्या के आधार पर किया जायेगा, जिसमें अधिकतम् उपस्थिति के दिवसों की संख्या 230 होगी। प्रति बच्चा प्रतिपूर्ति व्यय के भुगतान की सूचना बच्चे के माता–पिता /अभिभावकों को यथासमय विद्यालय के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

6. इसी प्रकार विद्यालयों को प्रति बच्चा प्रतिपूर्ति व्यय की धनराशि का भुगतान केवल जनपद स्तर से विद्यालय के बैंक खाते में इलैक्ट्रानिक माध्यम से किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिक माध्यम की सुविधा न होने पर ही एकाउन्ट पेई चैक के माध्यम से धनराशि उपलब्ध करायी जा सकती है।

7. प्रति बच्चा व्यय वह महत्तम राशि है जिस सीमा तक प्रतिपूर्ति की जा सकती है। यदि प्रतिमाह शुल्क के आधार पर कुल शुल्क की राशि प्रति बच्चा व्यय की राशि से कम हो तो सम्बन्धित विद्यालय को शुल्क की वास्तविक राशि ही अनुमन्य होगी। उदाहरणार्थ रू0 200/–प्रतिमाह शुल्क होने की दशा में विद्यालय को वास्तविक वर्षभर की शुल्क की ही राशि देय होगी।

8. शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–12(1)(c) के अन्तर्गत प्रवेशित बच्चों का पूर्ण विवरण विद्यालय स्तर, विकासखण्ड स्तर एवं जनपद स्तर अभिलिखित किया जाना होगा।

9. विद्यालयों को प्रति बच्चा प्रतिपूर्ति व्यय की धनराशि उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् विद्यालय द्वारा उपभोग प्रमाण–पत्र, खण्ड शिक्षा अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर के साथ जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। इसी प्रकार मध्याह्न भोजन, पोशाक तथा पाठ्य–पुस्तकों के सापेक्ष प्रतिपूर्ति व्यय की धनराशि बच्चे के खाते में स्थानान्तरित की जायेगी। इस धनराशि का प्रमाण पत्र बच्चे के माता–पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर से विद्यालय के माध्यम से खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जायेगा। उक्त प्रमाण पत्रों को यथासमय खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा संकलित कर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक)/जिला परियोजना अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। इसी प्रकार जिला परियोजना अधिकारी उपभोग प्रमाण पत्रों को संकलित कर राज्य परियोजना

क्रमश.....

कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड को उपलब्ध करायेंगे।

10. जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक)/जिला परियोजना अधिकारी तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि बच्चे के विद्यालय में प्रवेश होने के साथ ही बच्चे का व्यक्तिगत खाता भी तत्काल बैंक में खोल दिया जाये। इसकी सूचना स्वयं विद्यालय, जिला परियोजना अधिकारी कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय तथा राज्य परियोजना कार्यालय को भी उपलब्ध करायी जाये।

11. प्रति बच्चा प्रतिपूर्ति व्यय हेतु विद्यालयों एवं बच्चों के बैंक खातों में स्थानान्तरित धनराशि का विवरण जिला परियोजना कार्यालय द्वारा एक पंजिका में रखा जायेगा एवं पृथक से लेखा अभिलेखों का रख–रखाव सुनिश्चित किया जायेगा।

12. जनपदवार असहायता प्राप्त विद्यालयों में विद्यालयवार कितने बच्चे इस श्रेणी (25 %) में प्रवेशित किये गये है। इसकी सूचना स्कूल एजुकेशन की बेव साईट पर भी डाली जाय। साथ ही सम्बन्धित विद्यालयों से इस बात का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा कि उनके द्वारा उक्त श्रेणी के अन्तर्गत प्रवेशित बच्चों के अभिभावकों से कोई शुल्क नहीं लिया गया है।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, देहरादून।
2–निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
3–समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (द्वारा रा0परि0निदे0)।
4–समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक)/जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड (द्वारा रा0परि0निदेशक)।

क्रमश.....

5–समस्त विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी (जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) के माध्यम से)।

6–राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड देहरादून।
7–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी0 एस0 जंगपांगी)
अपर सचिव